

फार्म नं १५ एच

[धारा १९७ ए(१सी) और नियम २९ सी देखें]

धारा १९७ ए(१सी) के तहत घोषणा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्ति का दावा करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो साठ वर्ष या अधिक का है



भाग १

१. निर्धारिती का नाम (घोषणाकर्ता):		२. निर्धारिती का पैन ^१	३. जन्म तिथि (दि.दि/म.म./व.व) ^२
४. पिछला वर्ष ^३ (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)	५. फ्लैट / द्वार/ ब्लॉक नं	६. परिसर का नाम	७. सड़क / गली / लेन
८. क्षेत्र / इलाका	९. नगर / शहर / जिला	१०. राज्य	११. पिन
१२. ईमेल आईडी (केवल बड़े अक्षर में)		१३. टेलीफोन नं (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं	

१४. (क) क्या टैक्स का मूल्यांकन किया गया है^४ : हाँ नहीं (ख) यदि हां, तो आकलन के लिए नवीनतम मूल्यांकन वर्ष _____

१५. अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई है

१६. पिछले साल की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम १५ में उल्लिखित आय शामिल की जानी है^५

१७. पिछले वर्ष के लिए दाखिल किए गए फॉर्म नं १५एच का विवरण इस फॉर्म के अलावा यदि कोई हो^६

(क) दाखिल किए गए फॉर्म नंबर १५ एच की कुल संख्या	(ख) आय की कुल राशि, जिसके लिए फॉर्म नं १५(एच) दाखिल किया गया था

१८. आय का विवरण, जिसके लिए घोषणापत्र दायर किया गया है

क्रमांक	प्रासंगिक निवेश / खाता, आदि की पहचान संख्या ^७	आय की प्रकृति	वह धारा जिसके तहत कर काटा जायेगा	आय की राशि

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

घोषणा / सत्यापन^८

* मैं / हम _____ एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ६ के अर्थ में भारत के निवासी है। * मैं / हम एतद्वारा यह घोषित करता / करती / करते हैं कि उपर्युक्त कथन मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सही, सम्पूर्ण और सच है और इस फार्म में उल्लिखित आय आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ६० से ६४ के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं है। मैं / हम आगे घोषित करता / करती / करता हूँ कि कॉलम १५ में निर्दिष्ट उल्लिखित * आय / आय सहित * मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय * और कॉलम १७ में निर्दिष्ट * आय की कुल राशि आयकर अधिनियम, १९६१ के प्रावधानों के अनुरूप परिकल्पित की गई है, जो मूल्यांकन वर्ष _____ के लिए प्रासंगिक _____ को समाप्त पिछले वर्ष के लिए शुन्य होगी।

स्थान : _____

दिनांक : _____

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

भाग २: (भाग १ के कॉलम १५ में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा भरा जाना है)

१. भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	२. विशिष्ट पहचान संख्या ^९	३. भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पैन
४. पूरा पता	५. भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का टैन (TAN)	
६. ईमेल आईडी (केवल बड़े अक्षर में)	७. टेलीफोन नं (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं	
८. आय की राशि का भुगतान ^{१०}	९. वह तिथि जिस पर घोषणा प्राप्त हुई है (दि.दि/म.म./व.व)	

90. प्रदत्त/ जमा की गयी आय का दिनांक (दि.दि/म.म./व.व)

स्थान : _____

दिनांक : _____

भाग 9 के कॉलम 9५ में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

कृपया ध्यान दें:-

*जो भी लागू नहीं है, उसे हटाएं।

- १) धारा २०६ एए (२) के प्रावधानों के अनुसार, धारा १९७ए (१सी) के तहत घोषणा अवैध होगी, यदि घोषणाकर्ता अपने वैध स्थायी खाता संख्या (बैंक) को प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- २) घोषणा ऐसे निवासी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या अधिक का हो।
- ३) वित्तीय वर्ष जिससे आय संबंधित है।
- ४) यदि आकलन वर्ष जिसमें घोषणा दर्ज की गयी है उससे पहले के छह मूल्यांकन वर्षों में से किसी भी आकलन वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, १९६१ के प्रावधानों के तहत कर निर्धारित किया जाता है, तो कृपया "हाँ" का उल्लेख करें।
- ५) पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय की राशि का उल्लेख करें, जिसके लिए यह घोषणा की गई है, जिसमें आय की राशि भी शामिल होगी, जिसके लिए यह घोषणा की गई है।
- ६) यदि पिछले वर्ष के दौरान इस घोषणा को दाखिल करने से पहले फॉर्म नं १५एच में कोई भी घोषणा दर्ज की गई है, तो कुल फॉर्म नं १५एच की संख्या के साथ कुल आय का उल्लेख करें, जिसके लिए घोषणा दर्ज की गई थी।
- ७) शेयरों की विशिष्ट संख्या, सावधि जमा की खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजना, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि का उल्लेख करें।
- ८) घोषणा / सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सभी प्रकार से सही, सच और पूर्ण है। घोषणा में गलत बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २७७ के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और सजा पर दंडनीय होगा-
 - (i) पच्चीस लाख रुपये से अधिक कर की चोरी के मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम छह महीने का कठोर कारावास की सजा होगी, जो सात साल और जुर्माना के साथ बढ़ सकती है
 - (ii) अन्य किसी मामले में, न्यूनतम तीन महीने का कठोर कारावास की सजा होगी, जो दो साल और जुर्माना के साथ बढ़ सकती है।
- ९) भाग 9 के कॉलम 9५ में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी फॉर्म नंबर १५एच को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करनी होगी और इस संदर्भ संख्या को आयकर नियमों, १९६२ के नियम ३१ए(४)(vii) में निर्धारित विवरणों के साथ रिपोर्ट करें, उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत टीडीएस विवरण में। यदि उस व्यक्ति को उसी तिमाही के दौरान फॉर्म नंबर १५जी भी प्राप्त हुआ है, तो कृपया फॉर्म नंबर १५एच और फॉर्म नंबर १५जी के लिए अलग-अलग क्रम संख्या श्रृंखला आवंटित करें।
- १०) भाग 9 के कॉलम 9५ में निर्दिष्ट आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा १९७ए की उपधारा (१) या उपधारा (१सी) में निर्दिष्ट वर्ग की आय की राशि या वैसी आय की राशि का कुल योग जिसे उस पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किया गया है या जमा या भुगतान किया जाना है जिसमें उस आय को शामिल किया जाना है, और जो कर के दायरे में नहीं आने वाली अधिकतम राशि और खंड VI-ए के तहत कटौतियों, यदि कोई है, को पार करती हो जिसके लिए घोषक/घोषणाकर्ता पात्र है। पात्रता तय करने के लिए, उसे आय या कुल राशि की सत्यापन की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है, जैसी स्थिति हो, जिसे कि कॉलम 9५ और 9७ में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया गया है।